न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 6/2020 राजस्व अपील

1. रामफूल पुत्र लोहडया जाति मीना निवासी ग्राम कालवान तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 26.12.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामफूल प्रकरण संख्या 221/2019 अ. धारा 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : श्री नीरज जैमन, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 12.02.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय ने सम्वत 2076 में ग्राम कालवान में स्थित खसरा नं. 985 रकबा 0.30 है. किस्म चरागाह पर काश्त कर अतिक्रमण होना मानते हुए पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार अपीलान्ट को तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने व अतिक्रमणशुदा रकबे से बेदखल करने व शास्ति आरोपित करने का निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय के उक्त निर्णय दिनांक 26.12.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय का निर्णय विधि, न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी या चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये, बिना सुने, जवाब साक्ष्य सबूत जिरह का अवसर दिये बिना ही एकतरफा में निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट अत्यन्त वृद्ध ग्रामीण काश्तकार व्यक्ति है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना भी साबित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम कालवान तहसील

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सिकराय में स्थित प्रश्नगत चरागाह भूमि खसरा नं. 985 के किसी भी भाग पर वर्तमान में कोई कब्जा अथवा अतिक्रमण नहीं होने एवं अतिक्रमणशुदा भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया एवं अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट नें संवत 2076 में ग्राम कालवान तहसील सिकराय में स्थित प्रश्नगत चरागाह भूमि खसरा नं. 985 रकबा 0.30 है. पर गेहूं की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 26.12.2019 को बेदखल करने, शास्ति कायम करने के साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पूर्व अतिक्रमी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने प्रश्नगत चरागाह भूमि खसरा नं. 985 के किसी भी भाग पर वर्तमान में कोई कब्जा अथवा अतिक्रमण नहीं होने एवं अतिक्रमणशुदा भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि आराजी खसरा नं. 985 रकबा 0.30 है. ग्राम कालवान तहसील सिकराय पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार सिकराय द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.12.2019 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र सहित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official